

निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 77/अपील/20

हीरा लाल लोधा आ० शिवलाल लोधा आयु 41 वर्ष जाति लोधा नि० मोडी
तहसील बकानी(अपीलान्त)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी

(रेस्प०)

अपील बनाराजी न्यायालय तहसीलदार बकानी प्रकरण संख्या 242/20
दिनांक: 10.09.2020



उपस्थित- श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक अपीलान्त
पैरोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक: 19.07.2021

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 10.09.2020 जो मिसल न० 242/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम मोडी की आराजी ख०न० 482 किस्म चरागाह का 02 बिस्वा आराजी पर अतिक्रमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 08 रुपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील मेंमें में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एवं विधि के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को पक्ष रखने का समय नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार तनकनियात कायम कर निर्णय देना चाहिये था अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त को पूर्व में बेदखल किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ग्राम मोडी की आराजी ख०न० 482 व 120 केवल राजस्व अधिकार अभिलेख में चरागाह के रूप में दर्ज मात्र है इन आराजी पर राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कई महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण हो रहा है। उक्त ख०न० में स्थित आराजी को आबादी भूमि में रूपान्तरित करवाने तक का प्रस्ताव पारित किया गया था जिस पर कार्यवाही लम्बित है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील मेंमें की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पटवारी के बयान पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं जो सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है। धारा 91 की कार्यवाही में अतिक्रमी को बेदखली बाबत कोई रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने पर ही सजा के प्रावधान है, ग्राम मोडी की आराजी ख०न० 482 व 120 केवल राजस्व अधिकार अभिलेख में चरागाह के रूप में दर्ज मात्र है इन आराजी पर राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कई महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण हो रहा है। उक्त ख०न० में स्थित आराजी को आबादी भूमि में रूपान्तरित करवाने तक का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया था जिस पर कार्यवाही लम्बित है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पैरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान व बाड़ा बनाया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न० 656 निर्णय दिनांक 11.11.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलान्त आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा दौराने बहस यह भी व्यक्त किया गया है कि वाद ग्रस्त आराजी को आबादी भूमि में रूपान्तरित करवाने तक का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया था जिस पर कार्यवाही लम्बित है युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय उपरान्त लिया गया है और प्रस्ताव मात्र से भूमि रूपान्तरित/हस्तान्तरित/नियमन नहीं हो जाती है— इस हेतु भू राजस्व अधिनियम में पृथक से भूमि नियमन के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पक्का मकान व बाड़ा से कब्जा यथावत रिपोर्ट अनुसार भी अपीलान्त द्वारा आराजी पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जाना साबित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्त के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला कलक्टर
झालावाड़